रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 13, 1999/अग्रहायण 22, 1921
No. 601] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 13, 1999/AGRAHAYANA 22, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1999

(आयकर)

सा. का. नि. 810 (अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा आर्थिक अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा जोर्डन की हाशिमाईट सरकार के मध्य उपाबद्ध अभिसमय उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 29 के अनुसार दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा उक्त अभिसमय को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में परवर्ती अधिसूचनाओं की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर 16 अक्तूबर, 1999 से प्रवृत्त हो गया है।

अत: अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

उपाबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार

और

राजस्व अपवंचन को राकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

जोर्डन की हेशमिट किंगडम की सरकार

के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और जोर्डन की हेशमिट किंगडम की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को राकने के लिए तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के संवर्धन की दृष्टि से एक अभिसमय निष्पन्न करने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :—

अनुच्छेद-1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद-2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह अभिसमय किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे ये कर किसी भी प्रकार से लगाए जाएं।

2. सकल आय पर अथवा आय के तत्वों पर लगने वाले सभी कर आय पर लगने वाले करों के रूप में माने जाएंगे, जिनमें चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगने वाले करों, उद्यमों द्वारा अदा किए गए वेतनों तथा मजदूरियों की सकल रकम पर लगने वाले करों की राशि भी शामिल है।

3. जिन वर्तमान करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे विशेषकर इस प्रकार हैं :

(क) भारत में :

आयकर और उस पर लगने वाला कोई अधिभार;

(जिसे इसके बाद भारतीय कर कहा जाएगा);

(ख) जोर्डन में :

(i) आयकर;

(ii) वितरण कर; तथा

(iii) समाज सेवा कर;

(जिसे इसके बाद जोर्डनियन कर कहा जाएगा)

4. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा पर्याप्त रूप से समस्त करों पर लागू होगा जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के बाद पैराग्राफ 3 में उल्लिखित विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद-3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "भारत" पद से अभिप्रेत है-भारत का राज्य क्षेत्र तथा इसमें उसके राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा इसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र और अन्य कोई भी समुद्रीय क्षेत्र सम्मिलित है जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघीय अभिसमय सहित भारतीय कानून के अनुसार और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;

(ख) "जोर्डन" पद से अभिप्रेत है—जोर्डन की हेशमिट किंगडम का राज्य क्षेत्र, जोर्डन का राज्य क्षेत्रीय जल और इसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्रीय जल का समुद्र तल और अवमृदा और इसमें जोर्डन के राज्य क्षेत्रीय जल सीमाओं से परे फैला कोई क्षेत्र और ऐसे किसी क्षेत्र का समुद्रतल और अवमृदा शामिल है जिसे जोर्डन के कानूनों के तहत और अन्तरराष्ट्रीय कानून के तहत एक ऐसे क्षेत्र के रूप में नामोदिष्ट किया गया हो अथवा बाद में नामोदिष्ट किया जाए जिसके तहत जोर्डन प्राकृतिक संसधानों चाहे वे जीवित और गैर-जीवित हों, की खोज और दोहन के प्रयोजनों हेतु प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार का प्रयोग कर सके;

(ग) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय और कोई ऐसी अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई माना जाता है;

(घ) "कम्पनी" पद से कोई ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

(ङ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(च) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है—दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के निवासी किसी उद्यम द्वारा परिचालित कोई जलयान अथवा वायुयान, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :

(i) भारत में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ii) जोर्डन में, वित्त मंत्री अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ज) "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है :

(i) एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति;

(ii) कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो;

(झ) "वित्तीय वर्ष" पद से अभिप्रेत है :

(i) भारत के मामले में, पूर्ववर्ती वर्ष जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया हो;

(ii) जोर्डन के मामले में, "वर्ष" जैसा कि आयकर नियम (1985 का 57) के अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया हो;

(ञ) "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षानुसार भारतीय कर अथवा जार्डीनयन कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम देय नहीं होगी जो उक्त करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संदर्भ में देय हो जिस पर यह अभिसमय लागू होता हो अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड की द्योतक हो;

(ट) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत सरकार गणराज्य अथवा जार्डन का हेशमिट किंगडम अभिप्रेत है।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी पद का जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो और जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है।

अनुच्छेद-4

निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिस पर उस राज्य के कानून के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है। परन्तु इस पद पर कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर उस राज्य में स्थित स्रोतों से प्राप्त आय के बारे में ही कर लगाया जा सकता है।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, कोई व्यष्टि दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नलिखित के अनुसार तय की जाएगी :

(क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) घनिष्ठतर हैं;

(ख) यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसे दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह एक राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी भी राज्य का राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहां व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है यदि उस राज्य का, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

अनुच्छेद-5

स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णत: अथवा अंशत: चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) प्रबंध का कोई स्थान;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय ;

(घ) कोई कारखाना ;

(ङ) कोई कार्यशाला ;

(च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण उपयोग अथवा निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;

(छ) कोई बिक्री बाजार ;

(ज) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार जो दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया करता हो ; और

(झ) कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों।

3. कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण कार्य अथवा संयोजन परियोजना अथवा प्रतिष्ठापन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलापों को तभी एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप छह महीने से अधिक की अवधि तक चलते रहते हों।

4. किसी उद्यम का संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार का चलाया जाना तभी माना जाएगा यदि वह इस संबंध में सेवाएं अथवा सुविधाएं प्रदान करता है अथवा उस राज्य में खनिज तेलों के निष्कर्षण अथवा उपयोग अथवा उपयोग के पूर्वेक्षण के लिए किराए पर प्रयोग होने वाले अथवा प्रयोग किए जाने के लिए संयंत्र और मशीनरी सप्लाई करता है।

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

(ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना;

(घ) उक्त उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान पर रख-रखाव करना;

(ङ) उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

(च) केवल उप-पैराग्राफ (क) से (ङ) तक में उल्लिखित किन्हीं कार्यकलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणाम स्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो।

6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी स्वतंत्र हैसियत वाले एजेंट से भिन्न हो, जिस पर पैराग्राफ 8 लागू होता है और वह किसी उद्यम की ओर से कार्य करता हो और जिसे किसी संविदाकारी राज्य में उक्त उद्यम के नाम पर संविदाएं संपन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह उस प्राधिकार का आम तौर पर प्रयोग करता हो तो उस राज्य में उक्त उद्यम के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर किए

गए किन्हीं भी कार्यकलापों के बारे में उस उद्यम का कोई स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप पैरा 5 में उल्लिखित कार्यकलापों तक ही सीमित न हों, जिनका यदि किसी निश्चित कारोबार के स्थान से प्रयोग किया जाए तो इस बात से ही उक्त पैरा के उपबंधों के अधीन यह कारोबार का नियत स्थान एक स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगा।

7. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का पुन: बीमा करने के मामले को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा यदि यह उस दूसरे राज्य के क्षेत्र में प्रीमियम एकत्र करता है अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 8 लागू होता हो, से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वहां स्थित जोखिमों के लिए बीमा करता है।

8. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों, तथापि जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णत: अथवा लगभग पूर्णत: उस उद्यम की ओर से किए जाते हों तो उसे उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

9. यदि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा उससे नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) में कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वत: ही दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद-6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (जिसमें कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय भी शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान, नौकाएं, वायुयान तथा मोटर वाहन अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से प्राप्त होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो। यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो कि प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से उस स्थायी संस्थापन के कारण प्राप्त हुए हों।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में, ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण वे लाभ हुए माने जायेंगे, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णत: स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही ये उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा यह उस राज्य के उपबंधों के अनुसार तथा उस राज्य के कराधान कानूनों की सीमाओं के अध्यधीन किए गए हों।

4. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए मात्र माल अथवा पण्य-वस्तुओं की खरीद की गई है।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

6. जहां आय की मदों में लाभों की वे मदें शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद-8

जहाजरानी और वायु-परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभों का अर्थ है—पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी उद्यम द्वारा जल अथवा वायु परिवहन द्वारा क्रमशः यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा मालिक अथवा पट्टेधारियों अथवा जलयानों या वायुयानों के चार्टरों द्वारा लाए गए माल सहित —

(क) दूसरे उद्यम की ओर से ऐसे परिवहन हेतु टिकटों की बिक्री;

(ख) ऐसे परिवहन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित अन्य कार्यकलाप; और

(ग) ऐसे परिवहन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी कार्यकलाप से जुड़े हुए जलयान अथवा वायुयान को किराए पर देना।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन में प्रयुक्त आधानों (ट्रेलरों, बर्जिस और आधानों के परिवहन से संबंधित उपकरणों सहित) के प्रयोग, रख-रखाव अथवा उन्हें किराए पर देने से पैराग्राफ 1 में उल्लिखित एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त व्यवसाय या संकेतों का आदान-प्रदान करने या किसी अन्तरराष्ट्रीय परिवहन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 11 (ब्याज) के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

6. किसी उद्यम के स्वामित्व और प्रचालन वाले जलयानों, वायुयानों अथवा आधानों के अंतरण से पैराग्राफ 1 में उल्लिखित एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्राप्त लाभ, जिससे प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे।

7. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य और तीसरे देशों के पत्तनों के बीच जलयानों के प्रचालन से प्राप्त आय पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा किंतु उस दूसरे राज्य में लगाया गया कर उसके 50% के बराबर की रकम तक कम कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद-9

संबद्ध उद्यम

1. जहां :

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी मामले में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के न होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद—10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य का निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए लाभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्त्ता लाभांशों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांश की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिन लाभों में से लाभांश अदा किए जाते हैं।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अर्थ शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभों में भागीदारी के ऋण-दावे नहीं हों तथा अन्य ऐसे निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थित में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उन दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा सिवाय इसके कि जो लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किया जाता हो अथवा जहां तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कम्पनी के अवितरित लाभ पर कर लगाया जाएगा, भले ही अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ उस दूसरे राज्य में पूर्णत: अथवा अंशत: उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हो।

अनुच्छेद—11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा, जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, परन्तु यदि प्राप्तकर्त्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है जो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर बातचीत के द्वारा इस सीमा को लागू करने के तरीके पर सहमत होंगे।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता हो:

   (i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

   (ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का सैन्ट्रल बैंक अथवा कोई अन्य बैंक अथवा सरकारी वित्तीय संस्थान/एजेंसी जिस पर दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच परस्पर सहमति हो गई हो।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है—प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण पत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं। विलम्ब अदायगी के लिए जुर्मानों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, वहां स्थित ऐसे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज देने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो। तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, ब्याज अदाकर्त्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है जो ऐसा विशेष संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्त्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम उल्लिखित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक् अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद—12

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा किन्तु यदि प्राप्तकर्त्ता रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. (क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियों" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

सिनेमा फिल्में और फिल्मों अथवा टेपें अथवा रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण हेतु प्रयोग के लिए किसी भी पुनर्निर्माण माध्यम सहित किसी साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति के कापीराइट, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा कोई औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना हेतु प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगियां ;

(ख) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद से अभिप्रेत है—

प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए उसके प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगियां जिसमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा सेवाओं का प्रावधान भी सम्मिलित है किन्तु इसमें इस अभिसमय के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां सम्मिलित नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है दूसरे संविदाकारी राज्य, जिसमें रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हैं । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 में उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां, अदाकर्त्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों कि अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंध की अनुपस्थिति में अदाकर्त्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामलों में अदा की गई रकम के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद—13

पूंजीगत अभिलाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल समपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो सम्पत्ति पर संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपबंध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में भी कर लग सकेगा।

3. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यतया किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. पैराग्राफ 1, 2, 3 और 4 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्त्ता एक निवासी है बशर्ते कि ऐसे निवासी पर उस राज्य में कर लगता हो। यदि निवासी पर वहां पर कर नहीं लगता हो तो ऐसे अभिलाभों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद—14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्यलापों से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता हो, केवल उसी संवदाकारी राज्य में कराधेय होगी :—

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा इससे अधिक हो तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादन कार्यकलापों से प्राप्त होती है ;

(ग) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके कार्यकलापों हेतु पारिश्रमिक उस संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अदा किया जाता है अथवा यह उस संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है और यह किसी एक वित्तीय वर्ष में 2000 अमरीकी डालरों की बराबरी की राशि से अधिक हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेषतया, स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद—15

पराक्लम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18 और 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किमी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है।

यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संवदिाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है ; और

(ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे संविदाकारी राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के निवासी किसी उद्यम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित पोत अथवा विमान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद—16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हों, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद—17

मंनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूर-दर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि उस राज्य की यात्रा के लिए संविदाकारी राज्यों में से किसी एक या दोनों राज्यों द्वारा टअथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों या स्थानीय प्राधिकरणों की लोक निधियों द्वारा पूर्णतया उसकी सहायता की जाती हो। ऐसे मामले में उक्त आय केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी जिसका मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है।

अनुच्छेद—18

पेंशन

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अध्यधीन, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को पिछली सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, कोई सार्वजनिक स्कीम जो किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का भाग है, के अंतर्गत अदा की गई पेंशन और किए गए अन्य भुगतानों पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद—19

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्रधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन से भिन्न परिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसे परिश्रमिक पर दूसरे संविदाकरी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हों और व्यष्टि उस संविदाकरी राज्य का एक निवासी हो, जो :—

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो ; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभग अथवा किसी स्थानीय प्रधिकरण द्वारा सृजित निधियों द्वारा अथवा उसमें से उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्रधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकरी राज्य में कर तभी लगेगा, यदि उक्त व्यष्टि उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 15, 16 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्रधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त परिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद—20

विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. एक विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु जो कि एक संविदाकाररी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो उस दूसरे राज्य में मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए मौजूद रहता है, उसे उस दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट दी जाएगी :

(क) उस दूसरे राज्य में बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए की गई अदायगियां; अथवा

(ख) उस दूसरे राज्य मे रोजगार से प्राप्त परिश्रमिक जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य रकम से अधिक न हो;

बशर्ते कि ऐसा रोजगार उसकी शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो अथवा उसके भरण-पोषण के उद्देश्य हेतू किया गया है।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल उस समयावधि तक होंगे जो ली जा रही शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा प्रथानुसार अपेक्षत हो, किन्तु किसी भी स्थिति में कोई व्यष्टि इस अनुच्छेद का लाभ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से लेकर लगातार पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नहीं उठा सकेगा।

अनुच्छेद—21

प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्त्ता

1. कोई प्रोफेसर अथवा अध्यापक जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा निवासी था और जो शिक्षण अथवा शोध कार्य करने अथवा दोनों ही प्रयोजनों हेतु उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी विश्वविद्यालय,

महाविद्यालय, स्कूल अथवा किसी अन्य अनुमोदित संस्थान में ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य हेतु जाता है, तो उसे उस संविदाकारी राज्य में उसके पहुंचने की तारीख से उस अवधि तक किसी पारिश्रमिक पर कर से छूट प्राप्त होगी जो एक वर्ष से अधिक नहीं हो।

2. यह अनुच्छेद ऐसे शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा, यदि ऐसा शोध कार्य मूलत: किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता हो।

3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 20 के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि जिस वित्त वर्ष में वह दूसरे संविदाकारी राज्य में जाता है, उस वर्ष में, अथवा उस वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में, वह पूर्वोक्त संविदाकारी राज्य का निवासी रहा हो।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "अनुमोदित संस्थान" का अर्थ उस संस्थान से है जिसे संबंधित राज्य के सक्षम प्रधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

अनुच्छेद—22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्‌भूत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में, यथा-स्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित स्रोतों से घुड़दौड़ों, कार्डगेमों और किसी भी प्रकार के अन्य खेल अथवा संस्थाओं अथवा किसी भी प्रकार या स्वरूप की शर्त लगाने सहित लाटरियों, वर्ग-पहेलियों, दौड़ो के रूप में आय प्राप्त करता है, ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद—23

दोहरे कराधान का आयकरण

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित राज्यों में आय के कराधान के मामलों में लागू रहेंगे सिवाए ऐसे मामलों को छोड़कर जहां इस अभिसमय में उनके विपरीत कोई उपबंध नहीं किया गया हो।

2. भारत के मामले में, निम्न प्रकार से दोहरे कराधान से बचा जाएगा :

जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार, जार्डन में कर लगेगा, वहां भारत, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्रोत पर कटौती के द्वारा उस निवासी की आय पर जॉर्डन में अदा की गई आयकर की रकम के बराबर आय पर कर से कटौती की अनुमति देगा तथापि ऐसी कटौती की रकम कटौती दिए जाने से पूर्व यथा-संगणित आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जोकि ऐसी आय के कारण हो जिस पर जॉर्डन में कर लगाया जा सकता है।

3. जॉर्डन के मामले में, निम्न प्रकार से दोहरे कराधान से बचा जाएगा :

जहां जॉर्डन का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगेगा, वहां ऑर्डन उस निवासी की आय पर भारत में अदा की गई आयकर की रकम के बराबर राशि पर कर से कटौती की अनुमति देगा। तथापि, ऐसी कटौती की रकम, कटौती किए जाने से पूर्व संगणित आयकर से अधिक नहीं होगी, जो उस आय के कारण से हो जिस पर भारत में कर लगाया जा सके।

4. इस अनुच्छेद के पैरा 2 और 3 में उल्लिखित संविदाकारी राज्य में देय कर में वह कर भी शामिल समझा जाएगा जो देय होता परन्तु संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत दिए गए कर प्रोत्साहनों के कारण देय नहीं है और जिनका उद्‌देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

5. ऐसी आय जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाता है तो उसे उस संविदाकारी राज्य में लगाए जाने वाले कर की दर की गणना करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

अनुच्छेद—24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी अपेक्षाओं को लागू नहीं किया जाएगा, जो उस दूसरे राज्य में वैसी ही परिस्थितियों में, विशेष रूप से निवास के संबंध में, लगाए जाने वाले अथवा लगाए जा सकने वाले कराधान

एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हों। यह उपबंध अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगे जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में, ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलाप को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य के लिए यह रूकावट डालना नहीं है वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को सिविल प्रतिष्ठा अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कराधान के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसी व्यक्तिगत छूटें, राहतें और कटोतियां प्रदान न करे जो वह अपने निवासियों को प्रदान करता है।

3. किसी संविदाकारी राज्य के ऐसे उद्यम जिनकी पूंजी पूर्णत: अथवा अंशत: दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष स्वामित्व अथवा नियंत्रण में होगी उन पर प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती हैं।

4. ऐसे मामलों को छोड़कर जहां अनुछेद 9, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं मामलों में एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज, रायल्टियों और अन्य संवितरण पर, ऐसे उद्यमों के कराधेय लाभों का निर्धारण करने हेतु उन्हीं शर्तो के अधीन कटौती की अनुमति दी जाएगी जैसे कि वे प्रथमोल्लिखित राज्य के निवासी को अदा किए गए थे।

5. अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी, इस अनुच्छेद के उपबंध ऐसे प्रत्येक किस्म और विवरण के करों पर लागू होंगे जो इस अभिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद—25

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों की कार्रवाइयों के कारण उस पर कोई ऐसा कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, तो वह उन राज्यों के देशीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों पर ध्यान किए बिना अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है, अथवा यदि उसका मामला अनुछेच्द 24 के पैराग्राफ 1 के तहत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके परिणमस्वरूप उस पर ऐसा कर लगाया जाता है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार के उद्देश्य से, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए करार को लागू किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यो के देशीय कानूनों में कोई समय सीमा क्यों न हो।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई अथवा शंका उत्पन्न होने पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस अभियमय में व्यवस्था नहीं की गई है।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। यदि किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से मौखिक विचारों का आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत हो तो ऐसे आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के किसी आयोग के माध्यम से किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद—26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबंधों की अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित स्वदेशी कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जो इस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की धोखाधड़ी अथवा अपवंचन को रोकने के लिए इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस संविदाकारी राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो इस अभिसमय के

अंतर्गत आने वाले करों का निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हों। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे। वे उक्त सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों में अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों को सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं;

(ग) ऐसी सूचना को सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिक संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो जिसे प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद—27

वसूली सहायता

1. उन करों की वसूली में संविदाकारी राज्य एक दूसरे को सहायता देने का वचन देते हैं जो इस अभिसमय में "राजस्व दावे" के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लिखित ऐसे करों से संबंधित ब्याज, लागत तथा सिविल शास्तियों से संबंधित हैं।

2. राजस्व दावे की वसूली में संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहायता के लिए अनुरोध में ऐसे प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस बात का प्रमाण पत्र भी शामिल होगा कि उस राज्य के कानून के अधीन दावा किया गया राजस्व अंतिम रूप से निर्धारित कर लिया गया है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ दावा किया गया राजस्व अंतिम रूप से तब निर्धारित कर लिया जाता है जब किसी संविदाकारी राज्य को उसके आन्तरिक कानून के अंतर्गत राजस्व दावे की वसूली करने का अधिकार हो और करदाता को ऐसी कर वसूली रोकने का कोई अधिकार नहीं हो।

3. इस अनुच्छेद के अनुसरण में संविदाकारी राज्यों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वसूल की गई राशि दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित कर दी जाएगी। तथापि, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य दोनों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच परस्पर सहमति की सीमा तक ऐसी सहायता प्रदान करने के दौरान उपगत लागत, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति हेतु हकदार होगा।

4. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का अर्थ दोनो में से, किसी भी संविदाकारी राज्य पर उन प्रशासनिक उपायों से भिन्न स्वरूप के प्रशासनिक उपाय की बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा जो कि उसके स्वयं के करों की वसूली में प्रयुक्त किए जाते हैं अथवा जो उसकी सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हैं।

अनुच्छेद—28

राजनयिक एजेंट और कौंसुली अधिकारी

1. इस अभिसमय की किसी भी बात से अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक एजेंटों अथवा कौंसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद—29

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस अभियमय को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

2. यह अधिसमय इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद में प्राप्त की गई अधिसूचना के 30 दिन बाद से लागू होगा।

3. इस अभिसमय के उपबंध निम्नलिखित रूप से प्रभावी होंगे :

(क) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके बाद वाले अगले अप्रैल महीने के पहले दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में; और

(ख) जॉर्डन में, जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके बाद आगामी कैलेण्डर वर्ष के जनवरी महीने के पहले दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में।

अनुच्छेद—30

समापन

यह अभिसमय अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस अभिसमय के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की अवधि की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यमों से समापन की सूचना देकर इस अभिसमय को समाप्त कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में यह अभिसमय निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

(क) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है उसके बाद आगामी अप्रैल महीने के पहले दिन को अथवा उसके बाद किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;

(ख) जॉर्डन में, जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके बाद आगामी कैलेण्डर वर्ष के जनवरी महीने के पहले दिन को अथवा उसके बाद किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

में वर्ष एक हजार नौ सौ निन्नानवे के माह के दिन हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया तथा इसके तीनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ को प्रभावी माना जाएगा।

ह/- ह/-

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से — जॉर्डन की हेशमिट किंगडम की सरकार की ओर से

प्रोतोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और जॉर्डन की हेशमिट किंगडम की सरकार के बीच आज निष्पन्न अभिसमय पर हस्ताक्षर करते समय निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता इस बात पर सहमत हुए हैं कि निम्नलिखित प्रावधान उक्त अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे :

अनुच्छेद 9—संबद्ध उद्यम

1. अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 2 के संबंध में यह समझा जाता है कि उक्त उपबंध धोखाधड़ी अथवा जानबूझकर की गई चूक के मामले में लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 17—कलाकार और खिलाड़ी

2. अनुच्छेद 17 के पैराग्राफ 3 के संबंध में यह समझा जाता है कि उक्त उपबंध संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच निष्पन्न सांस्कृतिक करारों के तहत दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्यकलापों से किसी कलाकार द्वारा उद्भूत आय के संबंध में लागू होंगे।

अनुच्छेद 24—सम-व्यवहार

3. अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 3 के संबंध में यह समझा जाता है कि इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर कर की ऐसी दर पर प्रभार लगाने से किसी संविदाकारी राज्य को रोकना है जो उस दर से अधिक हो जो कम्पनी प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के समरूप कम्पनी के लाभों पर लगाया जाता है।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

में वर्ष एक हजार नौ सौ निन्नानवे के माह के दिन हिन्दी, अरबी औ अंग्रेजी भाषाओं में निष्पन्न किया गया तथा इसके तीनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ को प्रभावी माना जाएगा।

ह/- ह/-

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से — जॉर्डन की हेशमिट किंगडम की सरकार की ओर से

(रविकान्त) — (हिशाम मुहेसेन)

[अधिसूचना सं० एवं तारीख : 11161/फा० सं० 501/4/89-वि०क०प्र०]

विजय माथुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 1999

(INCOME-TAX)

G. S. R. 810 (E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has entered into force on the 16th day of October, 1999, in accordance with Article 29 of the said Convention, thirty days after the receipt of the later of the notifications by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required by their respective laws for bringing into force of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

CONVENTION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

The Government of the Republic of India and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and with a view to promoting economic cooperation between the two countries,

have agreed as follows :

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular :

(a) In India :

the income tax, including any surcharge thereon,

(hereinafter referred to as "Indian tax").

(b) In Jordan :

(i) the income tax;

(ii) the distribution tax; and

(iii) the social service tax

(hereinafter referred to as "Jordanian tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in para 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires :

(a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U. N. Convention on the Law of the Sea;

(b) the term "Jordan" means the territories of the Hashemite Kingdom of Jordan, the territorial waters of Jordan and airspace above it, and the seabed and subsoil of the territorial waters, and includes any area extending beyond the limits of the territorial waters of Jordan, and the seabed and subsoil of any such area, which has been or may hereafter be designated, under the laws of Jordan, and in accordance with international law as an area over which Jordan has sovereign rights for the purposes of exploring and exploiting the natural resources, whether living or non-living;

(c) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which is a resident of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(g) the term "competent authority" means :

(i) in India : the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;

(ii) in Jordan : the Minister of Finance or his authorised representative.

(h) the term "national" means :

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

(i) the term "fiscal year" means :

(i) in the case of India, "previous year" as defined under section 3 of the Income-tax Act, 1961;

(ii) in the case of Jordan "the year" as defined in Article 2 of the Income Tax Law (57 of 1985).

(j) the term "tax" means Indian tax or Jordanian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes;

(k) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of India or the Hashemite Kingdom of Jordan as the context requires.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "Resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting State, then his status shall be determined as follows :

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of exploration, exploitation or extraction of natural resources;

(g) a sales outlet;

(h) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for other; and

(i) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on.

3. A building site or construction or assembly project or installation project or supervisory activities in connection therewith constitute a permanent establishment only if such site, project or activity last more than six months.

4. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with, orsupplies plant and machinery on hire used for or to be used in the prospecting for, or extraction or exploitation of mineral oils in that State.

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies—is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 5 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies.

8. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats, aircraft and motor vehicles shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may also be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation by that enterprise of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall mean profits derived by an enterprise described in paragraph 1 from the transportation by sea or air respectively of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of ships or aircraft including—

(a) the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises;

(b) other activity directly connected with such transportation, and

(c) the rental of ships or aircraft incidental to any activity directly connected with such transportation.

3. Profits of an enterprise of a Contracting State described in paragraph 1 from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business or codesharing, or an international operating agency.

5. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 (Interest) shall not apply in relation to such interest.

6. Gains derived by an enterprise of a Contracting State described in paragraph 1 from the alienation of ships, aircraft or containers owned and operated by the enterprise, the income from which is taxable only in that State, shall be taxed only in that State.

7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships between the ports of the other Contracting State and the ports of third countries may be taxed in that other Contracting State, but the tax imposed in that other State shall be reduced by an amount equal to 50% thereof.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividents may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions Article 7 or Article 14, as the case may be shall apply.

5. Where a company which is a resident of Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends and or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by:

(i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or

(ii) the Central Bank of the other Contracting State, or any other bank or governmental financial institutions/agencies that may be mutually agreed upon between the two Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including permiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed based is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, and films or tapes or any other means of reproduction for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or any industrial commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(b) The term "fees for technical services" means payment of any kind in consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services including the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in Articles 14 and 15 of this Convention.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services being a resident of a Contracting State, caries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed based in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPTIAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may also be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident, provided that such resident is subject to tax thereon in that State. If the resident is not subject to tax thereon, then such gains may be taxed in the other Contracting State.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

(b) if his stay in the other State is for a period or periods aggregating 183 days or more in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State; or

(c) if the remuneration for his activities in the other Contracting State is paid by a resident of that Contracting State or is borne by a permanent establishment or a fixed base situated in that Contracting State and exceeds in the fiscal year the equivalent of US $ 2000.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) if the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated by an enterprise which is a resident of a Contracting State in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Acrticles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportsmen if the visit to that State is substantially supported by public funds of one or both of the Contracting States or of political sub-divisions or local authorities thereof. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsman is a resident.

Article 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other payments made under a public scheme which is part of the social security system of a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who :

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

Article 20

STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in that other State on :

(a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and

(b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding US $ 500 or its equivalent amount during any fiscal year,

as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefit of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 21

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of the Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding one year from the date of his arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research, if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and article 20 an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.

4. For the purposes of paragraph 1 "approved instituiton" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the

income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if a resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in the form of lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or gambling or betting of any form or nature whatsoever, such income may be taxed in the other Contracting State.

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting State will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.

2. In the case of India double taxation shall be eliminated as follows :

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Jordan, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Jordan whether directly or by deduction at source. Such amount shall not however exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Jordan.

3. In the case Jordan, double taxation shall be eliminated as follows :

Where a resident of Jordan derives income which, in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in India. Jordan shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in India. Such deduction shall not however exceed that part of the income tax as computed before the deduction is given, which is artibutiable to the income which may be taxed in India.

4. The tax payable in the Contracting State mentioned in paragraphs 2 and 3 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the tax incentives granted under the laws of the Contracting State and which are designed to promote economic development.

5. Income which in accordance with the provisions of this Convention, is not to be subjected to tax in a Contracting State, may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from granting to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

4. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of the Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursement paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description which are the subject of this Convention.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. they may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents), as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information or documents which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State.

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27

COLLECTION ASSISTANCE

1. The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of taxes to which this Convention relates, together with interest, costs, and civil penalties relating to such taxes, referred to in this Article as a "revenue claim".

2. Request for assistance by the competent authority of a Contracting State in the collection of a revenue claim shall include a certification by such authority that, under the laws of that State, the revenue claim has been finally determined. For the purposes of this Article, a revenue claim is finally determined when a Contracting State has the right under its internal law to collect the revenue claim and the taxpayer has no further rights to restrain collection.

3. Amounts collected by the competent authority of a Contracting State pursuant to this Article shall be forwarded to the competent authority of the other Contracting State. However, the first-mentioned Contracting State shall be entitled to reimbursement of costs if any, incurred in the course of rendering such assistance to the extent mutually agreed between the competent authorities of the two States.

4. Nothing in this Article shall be construed as imposing on either Contracting State the obligation to carry out administrative measures of a different nature from those used in the collection of its own taxes or those which would be contrary to its public policy.

Article 28

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedure required by the respective laws of the entry into force of this Convention.

2. This Convention shall enter into force thirty days after the receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The provisions of this Convention shall have effect :

(a) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Convention enters into force, and

(b) in Jordan, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the Convention enters into force.

Article 30

TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the convention through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect :

(a) in India, in respect of income arising in any previous year on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given.

(b) in Jordan, in respect of income arising in any previous year on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate at New Delhi, this twentieth day of April 1999 in Arabic, Hindi and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall be the operative one.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF
HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

. . . . . .

. . . . . .

PROTOCOL

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Republic of India and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the said Convention.

Article 9—Associated Enterprises

1. With reference to paragraph 2 of Article 9, it is understood that the provisions shall not apply in the case of fraud or wilful default.

Article 17—Artists and Sportsmen

2. With reference to paragraph 3 of Article 17, it is understood that the provisions shall apply in respect of income derived by an artiste from the activities performed in the other Contracting State under the cultural agreements concluded between the Governments of the Contracting States.

Article 24—Non Discrimination

3. With reference to paragraph 3 of Article 24, it is understood that this provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first mentioned Contracting State.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate at New Delhi, this twentieth day of April 1999 in Arabic, Hindi and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall be the operative one.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

(RAVI KANT)

FOR THE GOVERNMENT OF THE
HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

(HISHAM MUHAISEN)

[Notification No. 11161/F.No. 501/4/89-FTD]

VIJAY MATHUR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.